न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 759 सन 2019
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र नन्दराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :–09/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 के खसरा न0 24/6.7780हैक खसरा न0 28 की 6.0200हैक कुल 12.7980हैक भूमि सहखातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम राजकुमार मंगलाराम , श्योभगवान , हीरलाल ओमप्रकाश पि0 जयमल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम है जयमल की मृत्यू के वाद विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के आगे पिता नन्दराम के स्थान पर वादी के दादा जयमल का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है वादी अपने पिता नन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को राज्य सराकर से दी जाने वाली सुविधाए जैसे सब्सीडी खाद बीज का ऋण , मुआवजा, फब्बारा व डिग्गी ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रहे है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड अपना नाम संशोधन करवाकर जयमल के स्थान पर नन्दराम करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिसटर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपसिथत होकर जबाब पेश किया की की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का निवास स्थान दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 के खसरा न0 24/6.7780हैक खसरा न0 28 की 6.0200हैक कुल 12.7980हैक भूमि सहखातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम राजकुमार मंगलाराम , श्योभगवान , हीरलाल ओमप्रकाश पि0 जयमल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम नन्दराम है जयमल की मृत्यू के वाद विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के आगे पिता नन्दराम के स्थान पर वादी के दादा जयमल का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है वादी अपने पिता नन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी के समस्त दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, ड्राईविग लाईसन्स , एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार वादी के पिता का सही नाम नन्दराम है जयमल वादी के दादा का नाम है नाम संशोधन करने की अभिशषा की गई है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 की कुल 12.7980हैक भूमि में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जयमल के स्थान पर राजकुमार पुत्र नन्दराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 के खसरा न0 24/6.7780हैक खसरा न0 28 की 6.0200हैक कुल 12.7980हैक भूमि सहखातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम जयमल दर्ज है।

वादी का कथन है राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम नन्दराम के स्थान पर दादा जयमल का नाम दर्ज है जिसे संशोधन करवाकर अपने पिता का नाम नन्दराम करवाना चाहता है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, ड्राईविग लाईसन्स , आम आदमी का आधार कार्ड पेश किया जिसमें वादी के पिता का नाम नन्दराम अंकित है संरपच ग्राम पंचायत सोनडी के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी के पिता का सही नाम नन्दराम है राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा का नाम अंकित है जो संशोधन योग्य है।

प्रस्तुत नामान्तकरण 246 रोही मौजा चक राजासर के अनुसार वादी के दादा जयमल के देहान्त होने के बाद सहवन से वादी के पिता का नाम दर्ज करने के स्थान पर वादी के दादा जयमल का नाम अंकित किया गया हैं जो संशोधन योग्य है।वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 कि कुल 12.7980है भूमि में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जमयल दर्ज है के स्थान पर राजकुमार पुत्र नन्दराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन कियां जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र नन्दराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 759 सन 2019 निर्णय दिनांक– 9/7/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 235/225 कि कुल 12.7980है भूमि में वादी का नाम राजकुमार पुत्र जमयल दर्ज है के स्थान पर राजकुमार पुत्र नन्दराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner